संख्या-1/2021/3023/33-3-2020-10जी0आई0/2015 टी0सी0-I

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- जिलाधिकारी, जनपद-हाथरस, फिरोजाबाद, चित्रकूट, एटा, महोबा, सम्भल, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, शामली, चन्दौली, भदोही, सोनभद्र, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर एवं आजमगढ़।

3- मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उपरोक्त सम्बन्धित जनपद।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 01 जनवरी, 2021**

विषय- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2017/3091/33-3/2016/10जी.आई./2015 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत 15 मण्डलों के 25 जनपदों यथा हाथरस, फिरोजाबाद, चित्रकूट, एटा, महोबा, सम्भल, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, शामली, चन्दौली, भदोही, सोनभद्र, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं आजमगढ़ में जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) संचालन हेतु आदेश निर्गत किए गए है।

जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के सफल संचालन हेतु जारी निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:-

क) पंचायतों के समेकित विकास में प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन की अहम भूमिका के दृष्टिगत मण्डल के पत्रांकित जनपदों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	मण्डलीय संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य
3.	जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद	सदस्य
4.	मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), सम्बन्धित मण्डल	सदस्य सचिव
5.	मण्डल के समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
6.	आर.आई.आर.डी./डी.आई.आर.डी. अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के आमंत्री	सदस्य

- सम्बन्धित जनपदों में 25 डी0पी0आर0सी0 का संचालन जनपद के सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) के माध्यम से मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह सेन्टर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगें।
- डी0पी0आर0सी0 का संचालन, समिति द्वारा आंवटित किसी सरकारी भवन अथवा सरकारी भवन की अनुपलब्धता की दशा में किराए के भवन में किया जा सकेगा। किराए के भवन लेने की दशा में आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से लिए जाने वाले किराए के भवन हेतु यह अवश्य ध्यान में रखा जाए कि प्रशिक्षण हेतु चयनित भवन में कम से कम एक से दो प्रशिक्षण लेक्चर हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, महिला/पुरूष शौचालय, कम्प्यूटर कक्ष आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- डी0पी0आर0सी0 के संचालन सम्बन्धी समस्त व्यय (यथा भवन किराया, नियमानुसार, फैकल्टी का मानदेय, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में आवश्यक उपकरण, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, एवं फोन, प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य विविध व्यय/क्रय) आदि के व्यय हेतु मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) को अधिकृत किया जाता है।
- केन्द्र सरकार से जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टरों डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु प्रत्येक वर्ष आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 10 लाख को जिस जनपद में डी.पी.आर.सी. है उसी जनपद में प्राचार्य, जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में नए खोले गये खाते में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाएगा। जनपद के सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) द्वारा डी.पी.आर.सी. के प्राचार्य का भी पदभार ग्रहण किया जाएगा, इसके लिए पृथक से कोई पद सृजन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त आवर्ती धनराशि का प्रयोग डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ख) मण्डलीय समिति के दायित्व-

1- गठित मण्डलीय समिति पंचायतीराज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों से भी सम्बन्धित डी.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित होने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन करेगी।

2- मण्डल स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में होने वाले व्यय का अनुमोदन समिति की बैठकों में सदस्य सचिव द्वारा कराया जाएगा।

3- विभागीय अथवा गैर विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं भवन के उपयोग हेतु दरों का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण से अर्जित आय जनपद स्तर पर प्राचार्य, जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते में हस्तान्तिरत की जाएगी जिसका व्यय प्रत्येक 06 माह में मण्डलीय समिति से अनुमोदित कराया जायेगा।

4- प्रशिक्षण के अतिरिक्त समिति मण्डल स्तर पर अपने अधीन जनपदों की ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण प्रक्रिया एवं कार्ययोजना अपलोड कराने हेतु अनुश्रवण की भी उत्तरदायी समिति होगी।

5- योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार मण्डल एवं जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वयन हेतु समिति उत्तरदायी होगी।

6- समिति की साल में न्यून्तम 02 बैठकें अनिवार्य होगी, बैठक का कोरम 1/3 अनिवार्य होगा।

ग) जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मियों की व्यवस्था-

जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मियों की व्यवस्था-	
प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र	
विभाग	विभागीय मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।(डी.पी.आर.सी. के सम्बन्धित मण्डल से)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वरिष्ठ फैकल्टी/सह प्रबन्धक	
चयन	निदेशालय द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से।
शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बन्धित विवरण	
आवश्यक अर्हता	• एम.बी.ए./एम.एस.डब्लू /समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, लोक प्रशासन या अन्य सोशल सांइस संबंधी विषयों में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक। • पंचायती राज विभाग के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता। • न्यूनतम आयु- 30 वर्ष, अधिकतम आयु- 65 वर्ष। • प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता व अन्य समान कार्यों/भूमिकाओं में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव। • शासकीय/अशासकीय संस्था में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय का अनुभव। • एम.एस. ऑफिस प्रवीणता एवं इंटरनेट का ज्ञान।
अधिमानी अर्हता	• अनुदेशात्मक डिजाइन (Instructional design theory) सिद्धांत एवं क्रियान्वयन का व्यापक ज्ञान। • पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वयं के स्तर से पूरा करने की क्षमता (आवश्यकताओं का आंकलन, योजना बनाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि) • पारम्परित एवं आधुनिक प्रशिक्षण विधियों से परिचित होना। • उत्तम संवाद निपुणता। • पंचायती राज विभाग, के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता।
मानदेय (सर्विस चार्ज एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त से)	रू0 35,000/-माह।
चपरासी/कार्यालय सहायक	
चयन	मण्डलीय समिति द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से।
शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बन्धित विवरण	
आवश्यक अर्हता	आठवीं उत्तीर्ण अथवा आयु अधिकतम 60 साल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानदेय (सर्विस चार्ज एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त से)	रू0 8,000/- माह।

- डी.पी.आर.सी. स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ फैकल्टी/सह प्रबन्धक का चयन निदेशालय स्तर से किया जायेगा जिनका कार्यकाल 01 साल तक होगा। जिसको राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त सहयोग तथा कार्य प्रदर्शन के अनुसार मण्डलीय समिति के अनुमोदनोपरान्त विस्तारित किया जा सकेगा। उक्तानुसार अर्हताओं का पालन करते हुए संविदा कर्मियों के चयन/नियुक्ति निदेशालय स्तर से की जायेगी।
- डी.पी.आर.सी. में आवश्यकतानुसार धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त संविदाकर्मियों यथा-फैकल्टी या कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने हेतु तथा डी.पी.आर.सी. की स्वयं की आय (Own Source of Revenue) बढ़ाने हेतु मण्डलीय समिति होने पर विचार कर सकती है। चूंकि डी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु धनराशि आर0जी0एस0ए0 योजना से प्रदान की जा रही है अतः योजनान्तर्गत गठित कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के निर्देशों के अनुरूप इसका संचालन एवं अनुश्रवण निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ सुनिश्चित करेंगें। इस प्रकार से डी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्राप्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0 एवं निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जनपद अम्बेडकर नगर में पूर्व से निर्मितलोहिया भवन, क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर के कारण जनपद अम्बेडकर नगर को अनुमोदित डी.पी.आर.सी. को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2019 को आयोजित प्रथम बैठक के दिनांक 07 मार्च, 2019 को जारी कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-09 पर डी.पी.आर.सी. को जनपद अम्बेडकर नगर से जनपद रायबरेली को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार डी.पी.आर.सी. का संचालन जनपद अम्बेडकर नगर के स्थान पर जनपद रायबरेली में किया जायेगा तथा संचालन एवं निर्माण की धनराशि भी हस्तांतरित की जायेगी। (जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर, रायबरेली के संचालन संबंधी निर्णय लिये

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने हेतु शासनादेश संख्या-1019 (i) /33-3-2020 -19/2020 दिनांक 02 जुलाई, 2020 के द्वारा निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया है।)

अत: उक्त रूप से निर्गत निर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समस्त 25 जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र का सफलतापूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार,।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9- पृथक से मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), लखनऊ मण्डल एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, रायबरेली को इस आशय के साथ कि प्रशिक्षण हेतु डी0पी0आर0सी0 का संचालन जनपद अम्बेडकर नगर के स्थान पर जनपद रायबरेली में किया जायेगा एवं मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), लखनऊ मण्डल द्वारा स्वयं के दायित्वों के साथ डी0पी0आर0सी0, रायबरेली के प्राचार्य पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in